

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 08/23 (अपील)

GCMS No. : 2023/396

अनवान्

1. श्री मोहनलाल पिता भगवानलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री माधवलाल पिता भगवानलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री हमेरा पिता गणेश जी जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय :-
3/1 श्री मोहनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/2 श्री बंशीलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/3 श्री रतनलाल पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/4 श्री वरदीचन्द पिता हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।
3/5 मांगीबाई पत्नी हमेरा जाट निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री श्रीमती हंसु (पुत्री खेमा) पत्नी जमनलाल जाट आयु वयस्क निवासी सालेराखुर्द, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती लक्ष्मी (पुत्री खेमा) पत्नी केसुलाल जी जाट आयु वयस्क निवासी सांगा का खेड़ा, तह० नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)
3. श्रीमती रेखा (पुत्री मोती) पत्नी पवन जी जाट आयु वयस्क निवासी नाहरमगरा, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. मंजु पुत्री मांगीलाल जाट आयु वयस्क निवासी मावली, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती देउबाई (पुत्री मगनी) पिता रामलाल जाट आयु वयस्क निवासी सांगा का खेड़ा, तह० नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)
6. श्रीमती मोहनीबाई (पुत्री मगनी) पिता रामलाल जाट आयु वयस्क निवासी सांगा का खेड़ा, तह० नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)
7. श्री शंकरलाल (पुत्र मगनी) पिता रामलाल जाट आयु वयस्क निवासी सांगा का खेड़ा, तह० नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)
8. श्री रणजीतकुमार पुत्र चतरलाल बडाला, आयु वयस्क निवासी 76, अरिहन्त नगर, कालकामाता रोड़, पहाड़ा, उदयपुर जिला उदयपुर (राज०)

.....रेस्पोंडेन्ट्स

- उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 8।
3. श्री हीराला सालवी, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 4, 5, 6

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.प. मावली, बाबत ना. सं. 4690 दि. 20.02.2023

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 28.05.2025



1. अपीलान्ट्स द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मावली के नामान्तरण संख्या 4690 में वर्णित आराजी नम्बर 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 कुल किता 06 कुल रकबा 1.6834 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद अपीलान्टस् ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 7 व अन्य सहखातेदरों के विरुद्ध दिनांक 29.06.2017 को प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 161/2017 वाद होकर आज भी विचाराधीन हैं। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का भी प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 97/2017 प्रार्थना पत्र होकर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को दोनों पक्षों की बहस सुनकर नामान्तरण संख्या 4690 ग्राम मावली में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी की गई थी जिसकी जानकारी रेस्पोजेन्टस् को थी।
2. न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली में विचाराधीन घोषणा व निषेधाज्ञा के प्रकरण में दिनांक 24.01.2023 को दोनों पक्षों को सुनकर रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी उसके बाद दिनांक 07.02.2023 को उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 1538, 1530, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540 से अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा हटाते हुए अन्य आराजीयात पर स्थगन पूर्व आदेशानुसार जारी रहने का आदेश दिनांक 07.02.2023 को पारित किया गया था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2023 से स्थगन आदेश हटाने के आदेश के विरुद्ध अपीलान्टस् ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 6/2023 थे तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 25.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के आदेश दिनांक 07.02.2023 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई करने हेतु प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली को प्रतिप्रेषित किया जो आज भी प्रभावी हैं इस तरह न्यायालय में पक्षकारों के मध्य घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन था तथा स्थगन आदेश जारी होते हुए नुमाईशी विक्रय पत्र से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपना गलत हिस्सा बताते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 8 को नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय कर दी तथा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार वाद के विचाराधीन व स्थगन आदेश जारी होते हुए कथित नामान्तरण खोलकर स्वीकृत किया गया हैं जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

3. यह कि कानूनन जहां पक्षकारों के मध्य घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन हो वंहा नामान्तरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय में विचाराधीन घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन होते हुए कथित नामान्तरण स्वीकृत किया है जो कानून व विधि के विपरीत होकर काबिल निरस्त होने योग्य हैं। न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी रेस्पोंडेन्ट्स को भलीभांति थी व उक्त वाद में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पक्षकार थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर कथित नामान्तरण को खोलकर स्वीकृत करने में भारी भूल की है।
4. यह कि कथित नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.02.2023 को खोला गया व उसी दिन अर्थात् दिनांक 20.02.2023 को ही भू अभिलेख निरीक्षक की जांच करवाकर दिनांक 20.02.2023 को ही कथित नामान्तरण स्वीकार कर लिया गया, इस तरह एक ही दिन में पटवारी हल्का ने रेस्पोंडेन्ट की मिलीभगत से एक ही दिन में नामान्तरण खोलकर भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट करवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन कथित नामान्तरण बिना जांच किये आनन फानन में स्वीकार किया गया है जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं, एक ही दिन में नामान्तरण खोलने से लगाकर स्वीकृत करने की सारी प्रक्रिया की गई है जो जांच का विषय है ऐसी अवस्था में कथित नामान्तरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपना गलत हिस्सा बताते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र लिख नुमाईशी विक्रय पत्र में कब्जा सिपुर्द करने की बात लिखी गई है जो गलत है। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 ने जो हिस्सा बताया है उस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 का कब्जा ही नहीं है तो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 को कब्जा सिपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है आज भी कब्जा अपीलान्टस् के हिस्से पर अपीलान्टस् का है व अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये ही कथित नामान्तरण स्वीकृत किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्टस् को सूचना दिए व अपीलान्टस् को बिना सुने ही कथित नामान्तरण स्वीकृत करने में भारी भुल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरण स्वीकार करते समय न तो उपजिला कलेक्टर मावली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 161/2017 वाद व प्रार्थना पत्र 97/2017 के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2023 के सम्बन्ध में कोई नोट ही लगाया गया है बिना नोटिस के कथित नामान्तरण स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

5. यह कि कथित नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.07. 2023 की पालना कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपना हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 4690 खुलकर स्वीकृत हो चुका हैं तो अपीलान्टस् को कथित नामान्तरण की जानकारी हुई व अपीलान्टस् को जानकारी होते ही दिनांक 11.08.2023 को नकल प्राप्त की व नकल प्राप्त करते ही अपील के खर्च की व्यवस्था कर कथित नामान्तरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं फिर भी मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं।
6. अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरण संख्या 4690 ग्राम मावली को निरस्त फरमाते हुए नामान्तरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का आदेश बक्षाया जावें।
7. प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्टस द्वारा धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 की पालना कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 ने अपना हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 4690 खुलकर स्वीकृत हो चुका हैं तो अपीलान्टस् की जानकारी हुई व अपीलान्टस् को जानकारी होते ही दिनांक 11.08.2023 को नकल प्राप्त की व नकल प्राप्त करते ही अपील के खर्च की व्यवस्था कर कथित नामान्तरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं। नामान्तरण की जानकारी अपीलान्टस् को पूर्व में नहीं थी व जानकारी होते ही नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय लेकर कथित नामान्तरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की हैं जो जानकारी से अन्दर अवधि हैं। अपीलान्टस् ने अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाने का आदेश बक्षाया जावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 3, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 की और से

अधिवक्ता श्री मदनलाल नागदा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की यू.टी. अधिवक्ता श्री हिरालाल सालवी द्वारा ली गई।

9. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मावली द्वारा दौराने वाद विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण पारित किया गया है। जो पक्षकारो के मध्य घोषणा का वाद विचाराधीन हो वहां नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता है। घोषणा के वाद मे ही पक्षकारो के अधिकार तय किये जाते है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य केवल मात्र वाद विचाराधीन था। वक्त नामान्तरकरण न्यायालय का स्थगन नहीं था। स्थगन नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण पारित करने का पूर्ण अधिकार था। ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया जो विधि विरुद्ध नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006(1) पेज नम्बर 473, आरबीजे (13) 2006 पेज नम्बर 366, आरबीजे (5) 1998 पेज नम्बर 195, आरआरटी 2009 (2) पेज नम्बर 1337, आरआरडी 1994 पेज नम्बर 710, आरआरटी 2024(2) पेज नम्बर 1044, आरआरटी 2016 (2) पेज नम्बर 1139 एवं बालकिशन बनाम रतनलाल रिजजन नम्बर 41 निर्णय दिनांक 21.12.1984 प्रस्तुत किए गए।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 4690 दिनांक 20.02.2023 को ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित किया गया है। जहाँ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट्स को सुना गया है और न ही सूचना दी गई है, न ही अपीलान्ट को ज्ञान था। अपीलाण्ट्स का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर एवं देरी की अवधि को कन्डोन दिनांक 21.04.2025 को किया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4690 दिनांक 20.02.2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली में प्रकरण संख्या 161/2017 वाद एवं प्रकरण संख्या 97/2017 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने का

कथन कर नामान्तरकरण खारिज करवाना चाहते हैं जबकि अपीलान्ट्स द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि जिन आराजीयात बाबत् नामान्तरकरण पारित किया गया है उन पर नामान्तरकरण के वक्त स्थगन हो या नामान्तरकरण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई हो। केवल मात्र न्यायालय में वाद दायर करने से नामान्तरकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। अपीलान्ट्स स्वयं अपनी अपील में स्वीकार कर रहे हैं कि न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली द्वारा 24.01.2023 को स्थगन पारित किया गया जिसे न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 07.02.2023 आदेश पारित करते हुए हटा दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में की गई, जहां दिनांक 25.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली के आदेश दिनांक 07.02.2023 को निरस्त कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात पर दिनांक 07.02.2023 से दिनांक 25.07.2023 तक किसी प्रकार का स्थगन नहीं था। इस प्रकार नामान्तरकरण पारित करने की दिनांक 20.02.2023 को भी किसी प्रकार का स्थगन नहीं था।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत मावली द्वारा विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया था। नामान्तरकरण में वर्णित आराजीयात पर वक्त नामान्तरकरण किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं था तथा ना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत मावली द्वारा विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4690 दिनांक 20.02.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर